रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 194] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 1970/अग्रहायण 11, 1892
No. 194] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 1970/AGRAHAYANA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd December 1970

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of cotton yarn and cotton textiles for export to the U.K. during the licensing year December, 1970—November, 1971.*

No. PN(U.K. Licensing/1 of 1970.—The scheme relates to the export to U.K. of cotton textiles and cotton yarn covered by all the 18 categories (details are given in para 2 below) with effect from 1st December, 1970 until further orders.

Main Group and category heading

A. *Yarn*:

1. Folded, grey or finished.

2. Others, n.e.s.

B. *Grey Cloth*:

3. Drills, Jeans and Gaberdines.

4. Poplins.

5. Other fabrics not exceeding 46" in width, of which non-coarse is separate sub-category.

6. Other fabrics exceeding 46" but not exceeding 60" in width of which non-coarse is a separate sub-category.

7A. Sheeting exceeding 60" in width.

7B. Other fabrics exceeding 60" in width.

8. Others, n.e.s.

C. Finished cloth:

9. Terry towelling and similar terry fabrics.

10. Corduroys.

11. Poplins.

12A. Yarn-dyed and other finished sheeting over 60" in width.

12B. Other yarn-dyed piecegoods.

13. Others, n.e.s.

D. Made-up Goods:

14A. Made-up Sheets over 60" in width.

14B. Other Bed Linen.

15. Towels.

16. Men's and boy's shirts, raincoats and other proofed garments, men's and boy's coats, waist-coats and trousers.

17. Handkerchiefs.

18. Others, n.e.s.

3. Exports shall be allowed from any port in India.

4. Licences under the scheme shall be issued by the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, on the basis of the quota certificate issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay (TEXPROCIL) on the recommendations of the U.K. Textiles Licensing Advisory Committee. This shall apply in the case of exports of all cotton yarns falling under categories 1 and 2.

5. In respect of exports of all cotton textiles categories *viz.* from category 3 to 18 covering Groups of Grey Cloth, Finished Cloth and Made-ups, the quotas shall be allotted against individual shipments by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay, or its authorised representatives at upcountry ports of Calcutta, Madras, Tuticorin, Cochin and New Delhi by way of endorsements on shipping bills on first-come-first-served basis. Licensing endorsements on such allotments shall be made by the concerned Export Control Authorities at the port of shipment.

6. Licences and quotas shall not be transferable without the express consent in writing of the U.K. Textiles Licensing Advisory Committee.

7. All shipments of Cotton Yarn and Cotton Textiles made during each month from any port in India shall be reported by the exporters concerned to the Cotton Textiles Export Promotion Council by the 10th of subsequent month.

8. Procedure of submission of Export Certificates shall be as follows:

Exporters should prepare export certificates in the prescribed proforma in duplicate. One copy of the certificate duly certified by the Export Control Authorities at the port of shipment and duly countersigned by the Customs shall be retained at the port of shipment after the shipment has actually been passed which

shall be collected from the Customs by the representatives of the Cotton Textiles Export Promotion Council. The certificates thus collected by Texprocil shall be forwarded by it to the Ministry of Technology, U.K. Under no circumstances shall the export certificates be forwarded by the exporters directly. The second copy of the similarly certified and authenticated export certificate shall be retained by the exporter. The exporter or his shipping agents should ensure that the original export certificate is retained by the Preventive Officer concerned after the shipment has been effected.

8(a). The procedure of submission of Export Certificates in respect of Air consignments shall be as follows:

The exporters shall prepare the export certificate as per the prescribed proforma in triplicate. The third copy of the export certificate, duly certified by the Export Control Authorities, shall be retained by them and immediately forwarded by them to the Cotton Textiles Export Promotion Council for onward transmission to the Ministry of Technology, U.K. The original and the duplicate of the export certificates shall, in the usual manner, be handed over to the exporters concerned after processing in the Customs Department. The original shall then be forwarded to the Cotton Textiles Export Promotion Council in the usual manner prescribed in paragraph 8 above.

9. In the case of exports against Re-export (RE) Undertakings, the Jt. Chief Controller of Imports & Exports Bombay, shall issue Re-export Licences on the basis of quota certificates issued by the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay. These quota certificates shall be issued by Texprocil on receipt of a copy of the U.K. Ministry of Technology Re-export undertaking from the exporters.

10. In cases where the quota originally intended for home-retention is re-exported, the exporters shall have to finish the replacement certificate issued by the U.K. Ministry of Technology, on the basis of which a subsequent re-export (SR) quota certificate will be issued by Texprocil. Licences against such SR quota certificates shall be issued by the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Bombay.

11. A non-refundable charge of Rs. 2.50 for every 10,000 square yards for cotton textiles and Rs. 5 for every 10,000 lbs. of Cotton Yarn shall be levied by Texprocil for the issue of quota certificates subject to a minimum of Rs. 2.50 and Rs. 5 respectively.

12. The U.K. Textiles Licensing Advisory Committee is empowered to:

(a) frame rules and regulations from time to time for the operation of the scheme;

(b) supervise the entire scheme;

(c) keep watch over the performance from time to time;

(d) interpret and give decisions on various matters arising out of the operation of the scheme; and

(e) make such changes in the scheme as the Licensing Advisory Committee may consider fit from time to time.

13. The U.K. Textiles Licensing Advisory Committee consists of five representatives nominated by the Indian Cotton Mills' Federation, five representatives nominated by the Cotton Textiles Export Promotion Council and one representative each nominated by the Textile Commissioner, Bombay and the Jt. Chief Controller of Import and Exports, Bombay.

14. The address of the Cotton Textiles Export Promotion Council is as under:— Engineering Centre, 9, Mathew Road, Bombay-4.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर 1970

विषय :—लाइसेंस वर्ष दिसम्बर, 1970 से नवम्बर, 1971 के दौरान यू० के० को सूती धागे और सूती वस्त्रों के आयात के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना ।

संख्य पी० एन० (यू० के० लाईर्नासिंग)/1, 1970 :—यह योजना 1-12-1970 से अगला आदेश होने तक, सूती वस्त्र और सूती धागे जो सभी 18 श्रेणियों (नीचे की कंडिका दो में विस्तृत विवरण दिया जाता है) के अन्तर्गत आते हैं, यू० के० से सम्बन्ध रखती है।

2. श्रेणियों का विस्तृत विवरण नीचे दिए गए के अनुसार हैं :—

प्रमुख वर्ग और श्रेणी शीर्षक

(क) धागा :

1. तह लगाए हुए, भूरे या परिसज्जित ।

2. अन्य, एन० ई० एस० ।

(ख) भूरे कपड़े :

3. टुइल, जीन और अवरडीन ।

4. पापलीन ।

5. अन्य बुने हुए वस्त्र जिनकी चौड़ाई 46'' से ज्यादा नहीं है जिसकी मोट कपड़ों से पर की एक अलग उप-श्रेणी है ।

6. अन्य बुने हुए वस्त्र जिनकी चौड़ाई 46'' से ज्यादा है, किन्तु 60''से ज्यादा नहीं है, जिनकी मोटे कपड़ों से पर की एक अलग उप-श्रेणी है ।

7क. शीटिंग चौड़ाई 60" से ज्यादा ।

7ख. चौड़ाई में 60'' से ज्यादा अन्य बुने हुए वस्त्र ।

8. अन्य, एन० ई० एस०

(ग) परिसज्जित कपड़े

9. टेरी टावलिंग और इसी प्रकार के टेरी वस्त्र ।

10. मोटे सूती कपड़े ।

11. पापलीन ।

12क. धागे-रंगे हुए और चौड़ाई में 60" से ज्यादा अन्य परिसज्जित शीटिंग ।

12ख. अन्य रंगे हुए धागे के कटपीस माल ।

13. अन्य, एन० ई० एस० ।

(घ) तैयार किये हुए माल :

14क. चौड़ाई में 60" से ज्यादा की चादर ।

14ख. अन्य बैड लिनेन ।

15. तौलिए ।

16. पुरुषों की और लड़कों की कमीजें, बरसाती कोट और अन्य जलसहय पहनावे, पुरुषों के और लड़कों के कोट, वेस्ट कोट और पाजामें ।

17. रूमाल ।

18. अन्य, एन० ई० एस० ।

3. भारत के किसी भी पत्तन से निर्यात की स्वीकृति दी जायगी ।

4. यू० के० वस्त्र लाइसेंस प्रदायनी सलाहकार समिति की सिफारिश पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई (टेक्सप्रोसिल) द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाण-पत्र के आधार पर संयुक्त मख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात बम्बई द्वारा इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किए जायेंगे । यह श्रेणी 1 और 2 के अन्तर्गत आने वाले सभी सूती धागे को निर्यात के मामले में लागू होगी ।

5. सभी प्रकार के सूती वस्त्रों की श्रेणियों जैसे श्रेणी 3 से 18 तक के निर्यात के सम्बन्ध में जो भूरे वस्त्र, परिसज्जित वस्त्र और तैयार वस्त्र के वर्गों के अन्तर्गत आते हैं, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई या कलकत्ता, मद्रास, तुतीकोरिन, कोचीन और नई दिल्ली के देहाती पत्तनों पर इसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पहले आए सो पहले पाए के आधार पर शिपिंग बिल पर व्यक्तिगत पोत लदानों के लिए कोटा नियत किए जायेंगे । इस प्रकार के नियतन के लिए संबद्ध निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तन पर लाइसेंस पृष्ठांकन किए जायेंगे ।

6. यू० के० वस्त्र लाइसेंस प्रदायिनी सलाहकार समिति की बिना लिखी स्पष्ट सहमति के लाइसेंस और कोटा हस्तान्तरणीय नहीं होंगे ।

7. भारत में किसी भी पत्तन से प्रत्येक चालू माह में सूती धागे और सूती वस्त्रों के सभी प्रकार के लिए किए गए पोतलदानों की सूचना सम्बद्ध निर्यातकों द्वारा अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक सूती वस्त्र निर्यात सम्बर्धन परिषद को दे दी जायगी ।

8. निर्यात प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की क्रियाविधि नीचे लिखे अनुसार होगी :—

निर्यातकों को निर्यात प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में तैयार करने चाहिएं। प्रमाण पत्र की एक प्रति पोतलदान के पत्तन पर निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित तथा सीमाशुल्क विभाग द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित जब पोतलदान वस्तुतः बीत चुका हो, पोतलदान के पत्तन पर रखली जायगी जिसे सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के प्रति-निधि द्वारा सीमा शुल्क विभाग से एकत्र किया जायगा। इस प्रकार एकत्र किए गए प्रमाणपत्र सूती वस्त्र निर्यात सम्बर्धन परिषद द्वारा शिल्प विज्ञान मंत्रालय, बिट्रेन को अग्रसारित किया जायगा। किसी भी परिस्थिति में, निर्यात प्रमाण पत्र निर्यातकों द्वारा सीधे अग्रसारित नहीं किए जायेंगे। निर्यात प्रमाण पत्र की इसी प्रकार प्रमाणित तथा प्रमाणिकृत दूसरी प्रति निर्यातक द्वारा रख ली जायगी। निर्यातक या उसके पोत परिवहन अभिकर्त्ताओं को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पोतलदान क्रियान्वित होने के पश्चात मल निर्यात प्रमाणपत्र सम्बद्ध निवारक अधिकारी द्वारा रख लिया गया है।

8(ए) वायुयान द्वारा माल प्रेषणों के सम्बन्ध म निर्यात प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने की क्रियाविधि नीचे लिखे अनुसार होगी :—

निर्यातक विहित प्रपत्र के अनुसार तीन प्रतियों में निर्यात प्रमाणपत्र तैयार करेंगे। निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्यात प्रमाणपत्र की तीसरी प्रति निर्यातकों द्वारा रख ली जायगी। तथा वे उसको आगे शिला विज्ञान मंत्रालय, बिट्रेन को भेजने के लिए तत्काल सूती वस्त्र निर्यात सम्बर्धन परिषद को अग्रसारित करेंगे। निर्यात प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा द्वितीय प्रति को सीमाशुल्क विभाग में संसाधित करने के पश्चात सामान्य रीति से सम्बद्ध निर्यातकों को दे दिया जायगा। इसके पश्चात, मूल निर्यात प्रमाणपत्र को उपर्युक्त कंडिका 8 में विहित सामान्य रीति से, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को अग्रसारित किया जायगा

9. पुनर्निर्यात (आर० ई०) दायित्वों के प्रति निर्यातों के मामलों में, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, बम्बई सूती वस्त्र निर्यात सम्वर्धन परिषद बम्बई द्वारा जारी किए गए कोटा प्रमाणपत्रों के आधार पर पुनर्निर्यात लाइसेंस जारी करेगा। ये कोटा प्रमाणपत्र निर्यातकों से पुनर्निर्यात की प्रतिज्ञा की प्रति शिल्प विज्ञान मंत्रालय, बिट्रेन से प्राप्त हो जाने पर सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी किए जायेंगे।

10. ऐसे मामलों में, जहां आरम्भ में घर रखने के विचार से कोटे का पुनर्निर्यात किया जाता है तो निर्यातकों को शिल्प विज्ञान मंत्रालय, ब्रिट्रेन द्वारा जारी किए गए प्रतिस्थापन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर सूती वस्त्र निर्यात सम्बर्धन परिषद द्वारा एक अनवर्ती पुनर्निर्यात (एस० आर०) कोटा प्रमाणपत्र जारी किया जायगा । ऐसे एस० आर० कोटा प्रमाणपत्रों के प्रति, लाइसेंस संयुक्त मख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात, बम्बई द्वारा जारी किए जायेंगे ।

11. सूती वस्त्र निर्यात संबर्धन परिषद द्वारा सूती वस्त्रों पर प्रत्येक 10,000 वर्ग गज पर 2.50 रुपये का तथा सूत पर प्रत्येक 10,000 पौंड पर 5.00 रुपये का अवेय शुल्क कोटा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए वसूल किया जायगा । न्यूनतम शुल्क क्रमश: 2.50 रुपया तथा 5.00 रुपया होगा ।

12. ब्रिटेन सूती वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति निम्नलिखित कार्यों के लिए अधिकृत है :—

(क) योजना के रिचालन के लिए समय-ससय पर नियमों तथा विनियमों का निर्माण करना ;

(ख) सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण करना;

(ग) समय-समय पर कार्य अनुपालन की देख रेख करना ;

(घ) योजना के परिचालन से सम्बद्ध उत्पन्न विभिन्न मामलों की व्याख्या करना तथा निर्णय देना; और

(ङ) योजना में ऐसे परिवर्तन करना जिसे लाइसस सलाहकार समिति समय-समय पर उचित समझे ।

13. ब्रिटेन वस्त्र लाइसेंस सलाहकार समिति में भारतीय सूती मिल संघ द्वारा नामित 5 प्रतिनिधि, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा नामित 5 प्रतिनिधि तथा वस्त्र आयुक्त, बम्बई और संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, बम्बई प्रत्येक द्वारा नामित एक-एक प्रतिनिधि होते हैं ।

14. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का पता निम्नलिखित है :—

इन्जीनियरिंग सैन्टर,
9, मैथ्यू रोड,
बम्बई–4

[मिसिल संख्या 7/1/70/ई० आई० से जारी]

आर० ज० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970